	<p>केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु) Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) 18 संस्थागत क्षेत्र 18/Institutional Area, शहीदजीत सिंह मार्ग/Shaheed Jeet Singh Marg, नई दिल्ली/110016 – New Delhi -110016 दूरभाष/Telephone No.: 011-26858570 Email- budget.section@kvs.gov.in</p>
---	---	---

F. 110239/केवीएस (मु.)/51/बजट/2023-24/53


दिनांक- 19.03.2024

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है:

कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/204-E-II (B) दिनांक- 12.03.2024, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के देय महंगाई भत्ते का दिनांक- 01.01.2024 से 46% से 50% दर में संशोधन के संबंध में। (Revision of rate of Dearness Allowance to Central Government employees effective from 01.01.2024.)

यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि माह जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक संशोधित महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान माह मार्च 2024 के वेतन के भुगतान के उपरांत किया जाये। (It is mandatory to ensure that the payment of arrears of DA at revised rate with effect from January 2024 to March 2024 is made after disbursement of salary for the month of March 2024.)

संलग्नक- यथोपरि


(अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
सहायक आयुक्त (वित्त)

वितरण:

1. उपायुक्त/निदेशक केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय विद्यालय एवं मुख्यालय/ आंचलिक शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान।
2. वित्त अधिकारी केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय विद्यालय एवं मुख्यालय।
3. अनुभाग अधिकारी/ समस्त अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय।
4. प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय काठमाण्डू/ मास्को/ तेहरान।
5. महासचिव, समस्त मान्यता प्राप्त संघ।
6. उपायुक्त (ईडीपी) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), संलग्न कार्यालय ज्ञापन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट के शीर्ष "सूचना पट" के अंतर्गत अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
7. आरटीआई, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)।
8. गार्ड फाइल।

